तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 56/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
12.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (अनिल राठौड़ पुत्र टीकाराम, मैसर्स अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. (गोदाम), एच–75 सारणेश्वर रिको, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (Muruganantham Thambidurai (Nominee), M/s Arunnachala Impex Private Ltd., Bhankrota, Jaipur-302026) एवं प्रतिवादी संख्या– 3 (हर्ष कुमार सुराणा, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सुको फूड्स प्रोडक्टस्, सर्वे नम्बर 24/1/1 पी.के. बन्दू कैम्पस, ग्राम बैंक, इन्दौर (म.प्र.) 452001) उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.8.2023 को फर्म अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. (गोदाम), एस–175 सारणेश्वर रिको, सिरोही में प्रतिवादी अनिल राठौड़ पुत्र टीकाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर का नमूना संख्या S-2183, Director, Referal Food Laboratory. Pune के विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांक:RFL/P/DO-533/23/620/2023 दिनांक 02.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 12.7.2024 को उपस्थित होकर स्वयं की ओर से व प्रतिवादी अनिल राठौड़ की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दिनांक 12.7.2024 को ही सुना गया, जिन्होंनें यह अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है व भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेंगे। अतः प्रकरण में कम जुर्माना करके निस्ताण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही दिनांक 24.8.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. (गोदाम), एच–75 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत प्रतिवादी अनिल राठौड़ पुत्र टीकाराम [illegible] आवेदक श्री दिलीप सिंह ......लगातार	HARSH SURANA CT. muruganantham

न्याया. प्राधि. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

अधि. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:17 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 56/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. के गोदाम के निरीक्षण के दौरान गोदाम में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड के पैकेट निःशुल्क वितरण हेतु रखे हुए थे जिनमें हल्दी पाउडर के 50–50 ग्राम पैक्ड पैकेट भी रखे हुए थे जिनमें मिलावट का शक होने पर हल्दी पाउडर के 40 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 50 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर के नमूना संख्या S-2183 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./2352/Act/2023/2383 दिनांक 08.9.2023 में अमानक (sub-standard) खाद्य पाया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी के अपील आवेदन पर खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर के नमूने के दूसरे भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेब, पूना में भिजवाया गया। प्रकरण में Director, Referal Food Laboratory, Pune द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर का प्रेषित विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांकःRFL/P/DO-533/23/620/2023 दिनांक 02.11.2023 में हल्दी पाउडर का नमूना संख्या S-2183, अमानक (sub-standard) खाद्य पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म अरुणांचल इम्पैक्स प्रा.लि. को खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर के 50–50 ग्राम के पैक्ड पैकेट फर्म सुको फूड प्रोडक्ट्स्, सर्वे नम्बर 2421/1 पी.के. बन्दू केम्पस, ग्राम बैंक, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा सप्लाई किये गये है, जो प्रतिवादी हर्ष कुमार सुराणा की प्रोपराईटरी फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर का निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी हर्ष कुमार सुराणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर फर्म सुको फूड्स प्रोडक्टस्, सर्वे नम्बर 24/1/1 पी.के. बन्दू कैम्पस, ग्राम बैंक, इन्दौर (म.प्र.) 452001 दोषी है। प्रतिवादी हर्ष कुमार सुराणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर फर्म सुको फूड्स प्रोडक्टस्, सर्वे नम्बर 24/1/1 पी.के. बन्दू कैम्पस, ग्राम बैंक, इन्दौर (म.प्र.) 452001 ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:17 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 56/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी हर्ष कुमार सुराणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर फर्म सुको फूड्स प्रोडक्टस्, सर्वे नम्बर 24/1/1 पी.के. बन्दू कैम्पस, ग्राम बैंक, इन्दौर (म.प्र.) 452001 पर राशि रुपये 70,000/– (अक्षरे रुपये सत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हर्ष कुमार सुराणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर फर्म सुको फूड्स प्रोडक्टस्, सर्वे नम्बर 24/1/1 पी.के. बन्दू कैम्पस, ग्राम बैंक, इन्दौर (म.प्र.) 452001 को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:17 IST
Reason: SelfAttested